

**बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग**



अधिसूचना

संख्या-एसीस-01/नि0-73/2010-392

पटना, दिनांक-31.05.19

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 34) की धारा 1 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, बिहार के राज्यपाल श्रम संसाधन, भारत सरकार के अनुमोदन तथा बिहार सरकार के संदर्भ से अधिसूचना संख्या S.O.-ESIS 01/Ni-73/2010-175, दिनांक-23.02.2017 के प्रति निर्देश से इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थापनाओं के वर्गों में उक्त अधिनियम के उपबन्धों का विस्तार करते हैं :-

अनुसूची

प्रतिष्ठानों का विवरण (1)	क्षेत्र, जहाँ स्थापनाएँ स्थित हैं (2)
नगर निकाय जिसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित नगर निगमों, नगर पालिकाएँ, नगर परिषद् एवं अन्य स्थानीय निकाय शामिल हैं, जिसमें दस या अधिक आकस्मिक अथवा संविदात्मक अथवा दोनों आधार पर पिछले बारह मासों में किसी भी दिन नियोजित हो।	बिहार राज्य के सभी क्षेत्र जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 34) की धारा 1 की उप धारा (3) तथा (5) के उपबन्ध पहले से ही प्रवर्तन में लाए गए हैं।

**(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव
श्रम संसाधन विभाग**

ज्ञाप संख्या-एसीस-01/नि0-73/2010-392

पटना, दिनांक-31.05.19

- प्रतिलिपि-1. महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
2. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सी0आई0जी0 मार्ग, पंचदीप भवन, नई दिल्ली।
3. निदेशक (पी0 एण्ड डी0), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सी0आई0जी0 मार्ग, नई दिल्ली-110002.
4. श्रमायुक्त, बिहार, नियोजन भवन, बेलीरोड, पटना।
5. आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. अपर आयुक्त-सह-क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना।
7. वित्त विभाग (गजट कोषांग), बिहार, पटना को अधिसूचना की साफ्ट कॉपी (सी0डी0) एवं हार्ड कॉपी संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे आगामी गजट अधिसूचना में प्रकाशित कराया जाय।

**प्रधान सचिव
श्रम संसाधन विभाग**

Government of Bihar
Labour Resources Department

NOTIFICATION

No.-ESIS-01/Ni-73/2010- 392

Patna, dated- 31.05.19

In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (Central Act 34 of 1948), the Government of Bihar with the approval of Govt. of India, Ministry of Labour & Employment and reference to Bihar Government, Labour Department, Notification No. S.O.-ESIS 01/Ni73/2010-175 dated 23.02.2017 hereby extend the provisions of the Act to the classes of establishments specified in the Schedule given below:-

SCHEDULE

Description of Establishments	Areas in which the establishments are situated
[1]	[2]
Municipal bodies including Municipal corporations(Nagar Nigam), Municipal committees, Municipal Councils, Nagar Palika & other Urban Local bodies run by State Government wherein ten or more persons on casual or contractual or both, basis are employed on any day of the preceding twelve months.	All areas where the provisions of the Employees' State Insurance Act – 1948 have already been brought into force under sub-sections (3) & (5) of section 1 of the Employees' State Insurance Act – 1948 (Central Act 34 of 1948)

(Dipak Kumar Singh)

Principle Secretary

Labour Resources Department

ज्ञाप संख्या-एसीस-01/नि0-73/2010- 392

पटना, दिनांक- 31.05.19

प्रतिलिपि-1. महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

2. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सी0आई0जी0 मार्ग, पंचदीप भवन, नई दिल्ली।

3. निदेशक (पी0 एण्ड डी0), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सी0आई0जी0 मार्ग, नई दिल्ली-110002.

4. श्रमायुक्त, बिहार, नियोजन भवन, बेलीरोड, पटना।

5. आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना।

7. वित्त विभाग (गजट कोषांग), बिहार, पटना को अधिसूचना की साफ्ट कॉपी (सी0डी0) एवं हार्ड कॉपी संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे आगामी गजट अधिसूचना में प्रकाशित कराया जाय।

प्रधान सचिव

श्रम संसाधन विभाग